न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 06 / 2025	2025 / 60	30.01.2025	19.03.2025

1– सुमन कुमार पुत्री कांता देवी जाति राजपूत निवासी ग्राम गमरू तहसील धर्मशाला जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 17.05.2024 नामान्तकरण संख्या 2919 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री शौकत खॉ –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2919 निर्णय दिनांक 17.05.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत के द्वारा यह मानते हुऐ कि मृतक का नाम भिन्न है, नामान्तकरण को खारिज किया गया है, जो गलत है। मृतक कान्ता देवी फकीरचंद की लडकी थी, किन्तु वह किन्नर थी और किन्नर होने के कारण वह हिमाचल प्रदेश चली गयी और वहां पर बूटाराम की चेली बन गयी और कान्ता बाई को कांता माई पुत्री बूटाराम होना दर्ज कर दिया। क्योकि किन्नरो की रिती–रिवाजो के अनुसार कोई भी किन्नर जब किसी के पास चेली बन जाती है, तो वह किन्नरो की रिती–रिवाज के अनुसार उसकी बेटी मानी जाती है, इस लिए जो रिपोर्ट धर्मशाला जिला कांगडा से प्राप्त हुई है, उसमें कांता माई को बूटाराम की पुत्री होना दर्ज किया है, जबकि वह उसकी चेली थी, एंव कान्ता बाई के जीवनकाल में ही मिन अपीलान्ट उसकी चेली बन गयी थी और मिन अपीलान्ट उसके जीवनकाल में हिमाचल प्रदेश जम्मू एंव कश्मीर आदि क्षेत्रो में कांता बाई का किन्नर का काम संभालती थी, और किन्नरो के डेरे की मालिक भी बनाया गया। उक्त रिपोर्ट जो धर्मशाला जिला कांगडा से वारिसान के संबंध में प्राप्त हुई है, उसमें उपरोक्त सभी तथ्य साबित पाये जाते है। राजस्व अभिलेख में कान्ता देवी पुत्री फकीरचन्द का नाम बतौर खातेदार व गैर खातेदार के दर्ज है। किन्तु कांता बाई के किन्नर हो जाने के बाद उसका नाम कांता माई पुत्री बूटाराम हो गया, जिस बूटाराम की वह चेली थी, इस प्रकार मृतक के नाम में कोई भिन्नता किसी प्रकार की नही है, एवं मृतक कांतादेवी का नामान्तकरण विरासत मिन अपीलान्ट के नाम ही स्वीकार किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक था। कांतादेवी के स्वर्गवास होने के पश्चात विवादित आराजी की देखभाल भी मिन अपीलान्ट ही करती चली आ रही है, और मिन अपीलान्ट का ही कब्जा है। मृतक कांतादेवी की अन्य कोई वारिसान नही है, एवं रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार भी अन्य कोई वारिसान होना साबित नही पाया जाता है, इन हालात में मृतक कांतादेवी का नामान्तकरण मिन अपीलान्ट के नाम ही स्वीकार किया जाना चाहिऐ था। किन्तु तहत

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अदालत ने बिना किसी प्रकार की जॉच किये उक्त नामान्तकरण को खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश अपीलान्ट के विरूद्व बालावाला एकतरफा में महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पारित किया गया है। पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही हो पायी। मिन अपीलान्ट हाल ही में दिनाक 25.06.2024 को गांव आई तो पटवारी हल्का से इस बावत जानकारी हुई। जिस पर नकल प्राप्त कर यह अपील बिना किसी देरी के पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.05.2024 से दिनाक 25.06.2024 तक का समय गुजरा है, वह जानकारी के अभाव में गुजरा है, जो कन्डोन किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से संलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.05.2024 नामान्तकरण संख्या 2919 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 17.05.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2919 के विरूद्व दिनाक 24.07.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 23 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.05.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 25.06.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि मृतक कान्ता देवी फकीरचंद की लडकी थी, किन्तु वह किन्नर थी और किन्नर होने के कारण वह हिमाचल प्रदेश चली गयी और वहां पर बूटाराम की चेली बन गयी और कान्ता बाई को कांता माई पुत्री बूटाराम होना दर्ज कर दिया। जिसके बाबत रिपोर्ट धर्मशाला जिला कांगडा से प्राप्त हुई है, उसमें कांता माई को बूटाराम की पुत्री होना दर्ज किया है, जबकि वह उसकी चेली थी, एंव कांन्ता बाई के जीवनकाल में ही अपीलान्ट चेली बन गयी थी। उसके जीवनकाल में ही हिमाचल प्रदेश जम्मू एंव कश्मीर आदि क्षेत्रो में कांता बाई का किन्नर का काम संभालती थी, और किन्नरो के डेरे की मालिक भी बनाया गया। राजस्व अभिलेख में कांन्ता देवी पुत्री फकीरचन्द का नाम बतौर खातेदार व गैर खातेदार के दर्ज है। किन्तु कांता बाई के किन्नर हो जाने के बाद उसका नाम कांता माई पुत्री बूटाराम हो गया, जिस बूटाराम की वह चेली थी, इस प्रकार मृतक के नाम में कोई भिन्नता किसी प्रकार की नही है। तहत अदालत के समक्ष प्रार्थी रोजा राणा उर्फ सुमन कुमार चेला कान्ता द्वारा दिनाक 08.01.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक कान्तादेवी पुत्री फकीरचन्द के वारिसान की जॉच कराये जाने हेतु पेश किया गया जिस पर तहसीलदार धर्मशाला जिला कागडा हिमाचल–प्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है में मृतक कान्ता माई का वारिस रोजाराणा उपनाम सुमन कुमार को बताया गया है। जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0 दी0 का पेश कर पत्रादि को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया गया है। जो रिकार्ड पर लिया गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण को तस्दीक किये जाने हेंतु तलब की गयी रिपोर्ट तहसीलदार धर्मशाला जिला कांगडा का पुनः परीक्षण कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.05.2024 नामान्तकरण संख्या 2919 ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज0)